सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बीलवाडी, **कैम्प दिनांक 24.05.2018**

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 35/2009 **दायर तारीख 12.05.2009**

1. कालू पुत्र शिवलाल
2. छाजू पुत्र रामसुख (फौत)
   - 2/1. भंवरलाल
   - 2/2. बहादुर
   - 2/3. गिरधारी
   - 2/4. सोहनलाल
   - 2/5. हंसराज

   (पुत्रान छाजू)
   - 2/6. परभाती पत्नी शैतान पुत्र छाजू
   - 2/7. फूलचन्द
   - 2/8. बबलेश

   (पुत्रान शैतान)

   जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तन बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर
   - 2/9. धोली पुत्री शैतान पत्नी सीताराम
   - 2/10. बबली पुत्री शैतान पत्नी महेश

   जाती गुर्जर निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर
3. चूना पुत्र रामसुख
4. बिदामी पत्नी घींसा
5. मोती उर्फ श्रवण
6. श्योसहाय
7. प्रहलाद

   (पुत्रान घींसा)
8. गंगा
9. माना
10. धूडी
11. बब्बू
12. नाथी

   (पुत्रियां घींसा)

   जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तन बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—: वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. हरिप्रसाद
3. रामनारायण

पुत्रान गणपत, जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

4. लाडा देवी पत्नी गणपत (फौत, नाम हजफ आदेश दिनांक 05.04.2018)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. बिमला पुत्री गणपत पत्नी डालूराम } जाती गुर्जर निवासी पणदौ
6. कमली पुत्री गणपत पत्नी ओमप्रकाश } तहसील विराटनगर, जयपुर
7. छींतर पुत्र धूडा जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह हाल निवासी ढाणी चेचावाला तन आमलोदा तहसील विराटनगर
8. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्द सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
श्री गणपतलाल पंसारी अधिवक्ता प्रतिवादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 24.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बास उदयसिंह तन बीलवाडी के साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा, खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा पर वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त है। हाल सैटलमेंट के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा से हाल खसरा नम्बर 1250/0.27, 1251/1.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा से हाल खसरा नम्बर 1252/0.26, 1259/0.31, 1260/0.07, 1261/0.29, 1253/0.64 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि ग्राम बीलवाडी कायम किये गये, जो वर्तमान राजस्व ग्राम बास उदयसिंह में स्थित है।
   प्रतिवादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र ने हाल सैटलमेंट मे साजकर वादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 549 व 550 से बने हाल खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराली, जबकि उक्त आराजी से प्रतिवादीगण अथवा उनके बुजुर्ग धूडा का कभी कोई संबंध नहीं रहा है।
   वादी संख्या 4 लगायत 12 घींसा पुत्र रामसुख के वारिस है, घींसा के फौत होने से इन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा की खातेदारी कालू पुत्र शिवलाल (वादी संख्या 1) एवं छाजू, चूना पुत्रान रामसुख के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जो साबिक

सैटलमेंट के समय श्योलाल पुत्र रामचन्दर व रामसुख पुत्र तेजा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है।

सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय और आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को बदलने के अधिकार नहीं होने के बावजूद प्रतिवादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र के नाम वादीगण की भूमि का इन्द्राज किया है, जो काबिल दुरूस्ती है। प्रतिवादी के बुजुर्ग धूडा ने सैटलमेंट कर्मचारियों से साज कर मिसल नम्बर 411/82 से खातेदारी अपने नाम कराली, जो मिसल अपूर्ण एवं अस्पष्ट है, क्योंकि उक्त मिसल का निर्णय किसके द्वारा तथा कब किया गया कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अतः निवेदन है कि ग्राम बास उदयसिंह के हाल खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर का वादीगण को साबिक रिकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया।
3. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि वादपत्र में वर्णित किसी भी खसरा नम्बर के हिस्से पर वादीगण कभी काबिज काश्त नहीं रहे हैं। आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण को विरासत के आधार पर प्राप्त हुई है। मिसल संख्या 411/82 से आराजी मुतनाजा की स्थिति स्पष्ट है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतः वाद वादीगण मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।
4. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

   1. आया वाके ग्राम बास उदयसिंह के खसरा नम्बर 1251, 1261 में वादीगण का नाम साबिक रिकार्ड के आधार पर दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ? वादी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?

      — जिम्मे वादी

   2. आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादी के कब्जे काश्त एवं हक अधिकार की भूमि होने के आधार पर मिसल संख्या 411/82 के आधार पर प्रतिवादी

Web Copy

के नाम दर्ज की गई है, जिसे दुरूस्त कराने का वादी को अधिकार नहीं है ? **—— जिम्मे प्रतिवादी**

3. आया आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा नहीं होने व बेदखली का अनुतोष नहीं होने से दावा निराधार होने के आधार पर वाद खारिज योग्य है ? **—— जिम्मे प्रतिवादी**

5. वादी ने अपने वादपत्र/तनकीयात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस Ex.-1, नकल आंशिक नक्शा चकतरासी लठ्ठा ट्रेस Ex.-2, नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 19, 21 संवत् 2062–2065 Ex.-3, नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 28 संवत् 2062–2065 Ex.-4, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.-5, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2031 Ex.-6, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2031 Ex.-7, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2035 Ex.-8, नकल मिसल संख्या 411/82 Ex.-9, नकल खतौनी जमाबन्दी पृष्ठ संख्या 70 Ex.-10, नकल खतौनी जमाबन्दी पृष्ठ संख्या 58 Ex.-11, नकल खतौनी बन्दोबस्त नकल खतौनी जमाबन्दी पृष्ठ संख्या 70 Ex.-12 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये। मौखिक साक्ष्य के रूप में कालू पुत्र शिवलाल PW-1, बोदूराम पुत्र श्योनाथ PW-2, गोपाल पुत्र भगवानसहाय PW-3 के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर जिरह मे परीक्षित करवाये गये।

6. प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में ओमप्रकाश पुत्र गणपत का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किया।

7. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में वास्ते राजीनामा से प्रकरण के निस्तारण हेतु पेश हुआ है। उपस्थित पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश नहीं किया गया।

8. पक्षकारान व वकुलाय को मजमा–ए–आम सुना गया।

9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तनकीवार विवेचन इस प्रकार है :–

तनकी संख्या 1 :– आया वाके ग्राम बास उदयसिंह के खसरा नम्बर 1251, 1261 में वादीगण का नाम साबिक रिकार्ड के आधार पर दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ? वादी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा, वादीगण का तर्क रहा कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल Ex.-5 साबिक खसरा नम्बर 549 मिन से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हाल खसरा नम्बर 1251/1.06 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 550 मिन से हाल खसरा नम्बर 1261/0.29 हैक्टेयर कायम किये गये। साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा की खातेदारी Ex.-6 वादी के पिता शिवलाल तथा साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा की खातेदारी Ex.-7, Ex.-8, वादीगण के पूर्वज पिता शिवलाल, छाजू, घींसा, चूना के नाम दर्ज रिकार्ड रही है।

वादी संख्या 4 लगायत 12 घींसा पुत्र रामसुख के वारिस है, घींसा के फौत होने से इन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा की खातेदारी कालू पुत्र शिवलाल (वादी संख्या 1) एवं छाजू, घींसा, चूना पुत्रान रामसुख के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जो साबिक सैटलमेंट Ex.-12 के समय श्योलाल पुत्र रामचन्दर व रामसुख पुत्र तेजा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है।

आराजी मुतनाजा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर की खातेदारी Ex.-4 गणपत, छींतर पुत्र धूडा के नाम दर्ज रिकार्ड रही, जिसमें गणपत के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 250 के द्वारा विरासत से गणपत के हिस्सा 1/2 के बजाय ओमप्रकाश, हरिप्रसाद, रामनारायण, लाडा देवी के नाम अंकन स्वीकार हुआ है, जबकि आराजी मुतनाजा की खातेदारी साबिक सैटलमेंट के समय श्योलाल पुत्र रामचन्दर व रामसुख पुत्र तेजा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम मिसल नम्बर 411/82 से दर्ज हुई है, जो मिसल अपूर्ण एवं अस्पष्ट है, क्योंकि उक्त मिसल का निर्णय किसके द्वारा तथा कब किया गया कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यह भी कि सैटलमेंट कर्मचारियों को साबिक रिकार्ड की पुनरावृति करनी होती है, इन्द्राज परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार नहीं है। सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय और आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को बदलने के अधिकार नहीं होने के बावजूद प्रतिवादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र के नाम वादीगण की भूमि का इन्द्राज किया है, जो काबिल दुरूस्ती है तथा सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियों को दुरूस्त करने का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। जहां, तक प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का प्रश्न है, उसके संबंध में यह कि आराजी मुतनाजा की साबिक खातेदारी वादीगण के बुजुर्गो के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, मात्र अस्पष्ट मिसल द्वारा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई, जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना भी न्यायसंगत पाता हूॅ। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादी के कब्जे काश्त एवं हक अधिकार की भूमि होने के आधार पर मिसल संख्या 411/82 के आधार पर प्रतिवादी के नाम दर्ज की गई है, जिसे दुरूस्त कराने का वादी को अधिकार नहीं है ?

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा नहीं होने व बेदखली का अनुतोष नहीं होने से दावा निराधार होने के आधार पर वाद खारिज योग्य है ?

उक्त दोनो तनकियात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण ने अपनी तनकियात के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। जहां, तक मिसल संख्या 411/82 का प्रश्न है, आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा की खातेदारी Ex.-6 वादी के पिता शिवलाल तथा साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा की खातेदारी Ex.-7, Ex.-8, वादीगण के पूर्वज पिता शिवलाल, छाजू, घींसा, चूना के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। यह भी कि आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम मिसल नम्बर 411/82 से दर्ज हुई है, जो मिसल अपूर्ण एवं अस्पष्ट है, क्योंकि उक्त मिसल का निर्णय किसके द्वारा तथा कब किया गया कुछ भी स्पष्ट नहीं है तथा सैटलमेंट कर्मचारियों को साबिक रिकार्ड की पुनरावृति करनी होती है, इन्द्राज परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार नहीं है। सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय और आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को बदलने के अधिकार नहीं होने के बावजूद प्रतिवादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र के नाम वादीगण की भूमि का इन्द्राज किया है, जो काबिल दुरूस्ती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 2, 3 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

10. उपर्युक्त समस्त तथ्यो एवं वादपत्र के संलग्न जमाबन्दी Ex.-6, Ex.-7, Ex.-8, Ex.-12 के अवलोकन उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि साबिक रिकार्ड में आराजी जेरबहस वादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड रही है एवं हाल रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम हाल सैटलमेंट मिसल संख्या 411/82 द्वारा दर्ज की गयी, उक्त मिसल अपूर्ण एवं अस्पष्ट है, क्योंकि उक्त मिसल का निर्णय किसके द्वारा तथा कब किया गया कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यह भी कि सैटलमेंट कर्मचारियों को साबिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड की पुनरावृति करनी होती है, इन्द्राज परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार नहीं है। यह भी कि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि उकत मिसल के संबंध में वादी को सुना जाकर/सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त खातेदारी परिवर्तन किया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण को साबिक रिकार्ड के आधार पर आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

दावा मुताबिक साबिक रिकार्ड डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम बास उदयसिंह के खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.35 हैक्टेयर का वादीगण को साबिक रिकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की दखल नहीं करें। शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बीलवाडी दिनांक 24.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

दिनांकः–30/05/2018

नोटः– निर्णय के आदेश भाग की लाईन सं. 3 के अंतिम भाग से लाईन सं. 4 के प्रारम्भिक भाग के मध्य ख. नं. 1251 रकबा 1.06 है0 सम्पूर्ण एवं ख. नं. 1261/0.29 है0 के हिस्सा 1/2 का वादी सं. 1 को एवं ख. नं. 1261/0.29 है0 के शेष हिस्सा 1/2 का शेष वादीगण को बहिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना पढ़ा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीलवाडी

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. कालू पुत्र शिवलाल
2. छाजू पुत्र रामसुख (फौत)
   - 2/1. भंवरलाल
   - 2/2. बहादुर
   - 2/3. गिरधारी
   - 2/4. सोहनलाल
   - 2/5. हंसराज

   (पुत्रान छाजू)
   - 2/6. परभाती पत्नी शैतान पुत्र छाजू
   - 2/7. फूलचन्द
   - 2/8. बबलेश

   (पुत्रान शैतान)

   जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तन बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर
   - 2/9. धोली पुत्री शैतान पत्नी सीताराम
   - 2/10. बबली पुत्री शैतान पत्नी महेश

   जाती गुर्जर निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर
3. चूना पुत्र रामसुख
4. बिदामी पत्नी घींसा
5. मोती उर्फ श्रवण
6. श्योसहाय
7. प्रहलाद

   (पुत्रान घींसा)
8. गंगा
9. मना
10. धूडी
11. बब्बू
12. नाथी

   (पुत्रियां घींसा)

   जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तन बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—: वादीगण

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. ओमप्रकाश } पुत्रान गणपत, जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह
2. हरिप्रसाद } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. रामनारायण }
4. लाडा देवी पत्नी गणपत (फौत, नाम हजफ आदेश दिनांक 05.04.2018)

5. बिमला पुत्री गणपत पत्नी डालूराम } जाती गुर्जर निवासी पणदौ
6. कमली पुत्री गणपत पत्नी ओमप्रकाश } तहसील विराटनगर, जयपुर
7. छींतर पुत्र धूडा जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह हाल निवासी ढाणी चेचावाला तन आमलोदा तहसील विराटनगर
8. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 35/2009 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी ..... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री गणपतलाल पंसारी एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम बास उदयसिंह के हाल खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर का वादीगण को साबिक रिकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें।

कैम्प कोर्ट बीलवाडी में सुना गया। वादी का वाद दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 549, 550 की खातेदारी हाल भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व वादीगण के बुजुर्गो नाम दर्ज रिकार्ड रही है। हाल भू–प्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री पूर्व अंकित खातेदारी को परिवर्तित करने के अधिकार नहीं थे।

अतः हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताबिक साबिक रिकार्ड डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम बास उदयसिंह के खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.35 हैक्टेयर का वादीगण को साबिक रिकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की दखल नहीं करें। शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें।

तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बीलवाडी दिनांक 24.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... ..खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24.05.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

दिनांकः–30/05/2018

नोटः–डिक्री भाग हुक्म दिया जाता है मैं लाईन सं. 4 (आधार पर) से आगे ख. नं. 1251/1.06 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं ख. नं. 1261/0.29 हैक्टे. के हिस्सा 1/2 का वादी सं 1 एवं ख. नं. 1261/0.29 हैक्टे. के शेष हिस्सा 1/2 का ब हिस्सा अुनसार शेष वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना पढ़ा जावे।